

## नोट शीट

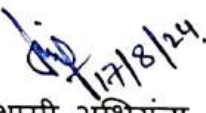
मुख्य विकास अधिकारी / जिलाधिकारी

महोदय,

दिनांक 08-08-2024 को जल जीवन मिशन के कार्यों की मासिक समीक्षा बैठक जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में की गई।

बैठक में जिलाधिकारी महोदय, अधिशासी अभियंता-जल निगम(ग्रामीण), सहायक अभियन्ता सभी संस्थाओं के परियोजना प्रबंधक तथा डी०पी०एम०, थर्ड पार्टी इन्स्पेक्शन एजेंसी उपस्थित रहे। बैठक में जल जीवन मिशन फेज -2 तथा फेज-5 में स्वीकृत परियोजनाओं की समीक्षा की गई तथा आवश्यक निर्देश दिए गए।

समीक्षा बैठक का कार्यवृत्त तैयार कर दाईं ओर संलग्न है। कृपया अनुमोदित करना चाहें।

  
अधिशासी अभियंता  
उ० प्र० जल निगम(ग्रामीण),  
संतकबीरनगर।

  
मुख्य विकास अधिकारी  
संत कबीर नगर  
24/8/2024

  
जिलाधिकारी  
संत कबीर नगर

दिनांक 08-08-2024 को जल जीवन मिशन के कार्यों की जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में सम्पन्न समीक्षा बैठक का कार्यवृत्त

दिनांक 08-08-2024 को जल जीवन मिशन फेज-2 व फेज-5 से संबंधित कार्यों की समीक्षा बैठक जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में की गई। जिसमें निम्न अधिकारी/प्रतिनिधि उपस्थित रहे-

1. श्री अपर जिलाधिकारी (वि/रा0), संतकबीरनगर ।
2. श्री संजय जायसवाल, अधिशासी अभियन्ता उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), संतकबीरनगर ।
3. श्री जे0एन0 यादव, सहायक अभियन्ता उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), संतकबीरनगर ।
4. श्री हरि प्रसाद शर्मा, AGM, मेघा इंजी0 एण्ड इंफ्रा0लि0, संतकबीरनगर ।
5. श्री पुष्कर सिंह, PM, जैक्शन विश्वराज (जे0वी0), संतकबीरनगर ।
6. श्री ओ0पी0 तिवारी, डी0सी0, डी0पी0एम0यू0, जल जीवन मिशन, संतकबीरनगर ।
7. श्री वृजेश सिंह, प्रोजेक्ट मैनेजर, टी0पी0आई0, संतकबीरनगर ।

जल जीवन मिशन के कार्यों हेतु तैनात कार्यदायी फर्मों की समीक्षा निम्नानुसार किया गया।

**1. कार्यदायी फर्म (मेघा इंजी० एण्ड इंफ्रा० लि०, हैदराबाद)**

- ❖ जनपद में जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत मेघा इंजीनियरिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर लि, हैदराबाद को फेज-2 के अन्तर्गत कुल 449 राजस्व ग्रामों का कार्य आवंटित किया गया, जिसको सम्मिलित करते हुए 171 DPR के माध्यम से संतृप्त किया जाना था। जिसके सापेक्ष फर्म द्वारा अवगत कराया गया कि 171 योजनाओं पर कार्य प्रारम्भ किया गया है।
- ❖ अधिशासी अभियन्ता द्वारा अवगत कराया गया कि फर्म को सभी 171 परियोजनाओं हेतु भूमि उपलब्ध करा दिया गया है तथा फर्म द्वारा इन सभी पर ट्यूबवेल ड्रिलिंग का कार्य भी कर लिया गया है। अपितु फर्म द्वारा कतिपय कार्यस्थलों पर बीच-बीच में कार्य बंद किए जाने पर, पुनः भूमि विवाद उत्पन्न हो जा रहा है। फर्म के AGM द्वारा अवगत कराया गया कि वर्तमान में 3 परियोजनाओं पर भूमि संबंधित विवाद है। जिसके निस्तारण हेतु तहसील में संपर्क कर प्रयास किया जा रहा है।
- ❖ अनुबंध के अनुसार कार्य पूर्ण करने की निर्धारित तिथि 02 दिसम्बर 2022 थी तथा समयवृद्धि के उपरांत 30 जून 2024 निर्धारित है। परंतु फर्म द्वारा द्वितीय समयवृद्धि दिनांक 30.12.2024 तक के लिए आवेदन किया गया है, जो कि निर्णय हेतु अधिशासी अभियन्ता द्वारा अधिशासी निदेशक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ को प्रेषित है।
- ❖ कम्पोनन्ट-वार प्रगति समीक्षा में पाया गया कि पम्प हाउस एवं ओवरहेड टैंक की प्रगति अत्यंत कम है। 179 स्वीकृत पम्प हाउस के सापेक्ष 140 पूर्ण हैं । इसी प्रकार 171



स्वीकृत ओवरहेड टैंक के सापेक्ष अभी तक 18 का कार्य पूर्ण है, परंतु मात्र 5 टैंक से जलापूर्ति की जा रही है।

- ❖ अधिशासी अभियंता द्वारा अवगत कराया गया कि फर्म द्वारा प्रतिदिन औसत 300 मैनपावर लगाया गया है। जबकि 171 परियोजनाओं के ओवरहेड टैंक पर समानांतर कार्य करने हेतु न्यूनतम 900 मैनपावर लगाया जाना आवश्यक है।

अधिशासी अभियंता द्वारा अवगत कराया गया कि फर्म को विगत डेढ़ वर्ष पूर्व से ही प्री-कास्ट ओवर हेड टैंक निर्माण हेतु निर्देशित किया जाता रहा है। परंतु अभी तक एक परियोजना (इमिलिया पेयजल योजना, वि०ख०-साँथा) पर प्री-कास्ट ओवर हेड टैंक निर्माण कार्य किया गया है, जिसमें zincalume टैंक का कार्य शेष एवं अनारंभ है। इस पर परियोजना प्रबंधक, मेधा इंजी० एण्ड इंफ्रा० द्वारा बताया गया कि फर्म द्वारा 127 परियोजनाओं पर जलापूर्ति प्रारंभ की गई। परंतु अधिशासी अभियंता द्वारा बताया गया कि स्थलीय निरीक्षण में अधिकतम परियोजनाओं पर नियमित जलापूर्ति नहीं होने की शिकायत मिल रही है तथा ट्राइल/टेस्टिंग में होने वाले लीकेज के मरम्मत में विलंब किया जा रहा है, जिसकी शिकायतें IGRS / JJM Grievance portal पर प्राप्त हो रही हैं।

- ❖ अधिशासी अभियंता द्वारा बताया गया कि प्रमुख सचिव, नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति विभाग, उ०प्र० शासन द्वारा समस्त जनपद के अधिशासी अभियंता एवं समस्त कार्यदायी एजेंसी की प्रत्येक मंगलवार को साप्ताहिक समीक्षा बैठक की जा रही है। जिसमें धीमी प्रगति की वजह से मेधा इंजी० एण्ड इंफ्रा० पर कुल 8 प्रतिशत liquidated damages की पेनल्टी लगाई गई है। परंतु इसके उपरांत भी कार्य गति में अपेक्षित सुधार परिलक्षित नहीं हो रहा है।

- ❖ अधिशासी अभियंता द्वारा बताया गया कि फर्म को आवंटित कुल 449 राजस्व ग्रामों के सापेक्ष अभी तक 252 राजस्व ग्रामों में सड़कों का शत प्रतिशत मरम्मत कार्य पूर्ण है, जिसका टी०पी०आई० द्वारा सत्यापन कराकर पोर्टल पर अपडेट कर दिया गया है। शेष ग्रामों में मरम्मत कार्य पूर्ण नहीं होने की वजह से IGRS / JJM Grievance portal पर शिकायतें प्राप्त हो रही हैं।

फर्म को निर्देशित किया गया कि प्राप्त शिकायतों के सापेक्ष तत्काल मरम्मत कार्य प्रारंभ सुनिश्चित करें तथा इस हेतु प्रत्येक विकास खण्ड हेतु अलग-अलग मोबाईल टीम बनाएं।

- ❖ कार्यदायी फर्म मेधा के ए0जी0एम0 द्वारा बताया गया कि अगस्त माह के लक्ष्य के अनुसार योजनाओं पर सोलर सिस्टम का कार्य 01 सप्ताह में तथा पम्प हाउस का कार्य 15 दिवस में पूर्ण कर लिया जायेगा। गृह संयोजन का कार्य दिनांक 15 अक्टूबर- 2024 तक तथा 18 नग परियोजनाएं शिरोपरि जलाशय सहित माह नवंबर- 2024 के अंत तक पूर्ण कर दी जाएगी।

❖ परियोजनाओं की कम्पोनन्ट-वार प्रगति निम्नानुसार है-

| Sr.no | Component           | UOM     | Target                 | Progress                         |                  |           | Progress % |                  |           |
|-------|---------------------|---------|------------------------|----------------------------------|------------------|-----------|------------|------------------|-----------|
|       |                     |         |                        | Completed Total                  | Work in progress | Unstarted | Completed  | Work in progress | Unstarted |
| 1     | TUBEWELL            | Nos.    | 179                    | 178                              | 1                | 0         | 99.44      | 0.56             | 0.00      |
| 2     | PUMP HOUSE          | Nos.    | 179                    | 140                              | 23               | 16        | 78.21      | 12.85            | 8.94      |
| 3     | PIPELINE            | KM      | 1450                   | 1388                             | 14               | 48        | 95.72      | 0.97             | 3.31      |
| 4     | OVERHEAD TANK       | Nos.    | 171                    | 18                               | 107              | 46        | 10.53      | 62.57            | 26.90     |
| 5     | HOUSE CONNECTION    | Nos.    | 56030                  | 38500                            | -                | 17530     | 68.71      | -                | 31.29     |
|       |                     |         |                        |                                  |                  |           |            |                  |           |
| A     | Direct water supply | Schemes | 171                    | 128                              |                  |           | 74.85%     |                  |           |
| B     | 100 % commissioning | Schemes | 171                    | 5                                |                  |           | 2.92%      |                  |           |
|       |                     |         |                        |                                  |                  |           |            |                  |           |
| 5     | Road Reinstatement  | KM      | Total Dismantling qty- | Total Reinstatement Done- 378 Km |                  | Progress- | 80.42 %    |                  |           |
|       |                     |         | 470                    |                                  |                  |           |            |                  |           |

❖ कार्यादायी फर्म- मेघा इंजी० एण्ड इंफ्रा०, हैदराबाद की अत्यंत धीमी प्रगति एवं पर्याप्त मैनेपावर नहीं होने पर जिलाधिकारी महोदय द्वारा नाराजगी व्यक्त करते हुए फर्म के ए०जी०एम० को निर्देशित किया गया कि उचित मैनेपावर बढ़ाते हुए समयान्तर्गत पेयजल योजनाओं के समस्त कार्य पूर्ण करायें।

## 2. कार्यादायी फर्म (जैक्सन-विश्वराज जे०वी०, नई दिल्ली)

❖ जल जीवन मिशन फेज-5 के अन्तर्गत चयनित फर्म जैक्सन- विश्वराज (ज्वाइंट वेन्चर), नई दिल्ली को कुल 807 राजस्व ग्राम आवंटित है, जिसके सापेक्ष 807 राजस्व ग्रामों को सम्मिलित करते हुए 290 DPR के माध्यम से संतुष्ट किया जाना है।



- ❖ 290 परियोजनाओं में कुल 313 ट्यूबवेल का कार्य स्वीकृत है। जिसके सापेक्ष 294 ट्यूबवेल का कार्य कर लिया गया है। अधिशासी अभियंता द्वारा अवगत कराया गया कि शेष परियोजनाओं पर भूमि विवाद अथवा अनुपलब्धता के कारण कार्य अनारंभ है। भूमि विवाद निस्तारण हेतु नियमित तौर पर संबंधित तहसील में संपर्क कर प्रयास किया जा रहा है।

निर्देशित किया गया कि भूमि प्रकरणों के निस्तारण के लिए जिलाधिकारी महोदय द्वारा अगली बैठक में भूमि संबंधी विवाद निस्तारण का आश्वासन दिया गया।

- ❖ अनुबंध के अनुसार कार्य पूर्ण करने की निर्धारित तिथि 25 अक्टूबर 2024 है। फर्म के परियोजना प्रबंधक द्वारा बताया गया कि समस्त परियोजनाएं दिसम्बर 2024 तक पूर्ण कर लिया जाएगा।

अधिशासी अभियंता द्वारा बताया गया कि अभी तक इनके द्वारा अनुबंध के समयवृद्धि हेतु आवेदन नहीं किया गया है तथा दिसम्बर 2024 तक कार्य पूर्ण करने हेतु फर्म को सभी कम्पोनन्ट पर समानांतर कार्य करने तथा संसाधन बढ़ाए जाने की आवश्यकता है।

- ❖ अधिशासी अभियंता द्वारा बताया गया कि फर्म को आवंटित कुल 807 राजस्व ग्रामों के सापेक्ष अभी तक 253 राजस्व ग्रामों में सड़कों का शत प्रतिशत मरम्मत कार्य पूर्ण है, जिसका टी०पी०आई० द्वारा सत्यापन कराकर पोर्टल पर अपडेट कर दिया गया है। शेष ग्रामों में मरम्मत कार्य पूर्ण नहीं होने की वजह से IGRS / JJM Grievance portal पर शिकायतें प्राप्त हो रही हैं।

- ❖ फर्म द्वारा 28 परियोजनाओं पर डायरेक्ट ट्यूबवेल से जलापूर्ति प्रारंभ की गई। परंतु अधिशासी अभियंता द्वारा बताया गया कि स्थलीय निरीक्षण में अधिकतम परियोजनाओं पर नियमित जलापूर्ति नहीं होने की शिकायत मिल रही है तथा ट्राइल/टेस्टिंग में होने वाले लीकेज के मरम्मत में विलंब किया जा रहा है, जिसकी शिकायतें IGRS / JJM Grievance portal पर प्राप्त हो रही हैं।

- ❖ कार्यदायी फर्म जैक्शन-विश्वराज के पी०एम० द्वारा बताया गया कि 18 परियोजनाओं पर भूमि विवाद के कारण कार्य शुरू नहीं हो पाया, की बात कही गई। जिसपर जिलाधिकारी महोदय द्वारा अगली बैठक में निराकरण कराने के लिए आश्वासन दिया गया। 80 नंग पम्प हाऊस पर Low Land के कारण कार्य प्रारम्भ नहीं किया जा सका। जिसकी रि-डिजाइनिंग की प्रक्रिया प्रोसेस में है शीघ्र ही प्रक्रिया पूर्ण होने पर कार्य प्रारम्भ करा दिया जायेगा।

- ❖ परियोजनाओं की कम्पोनन्ट-वार कुल एवं साप्ताहिक प्रगति निम्नानुसार है-

❖ जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्देश दिये गये कि रोड रिस्टेटमेंट का कार्य पूर्ण करने के उपरान्त कार्यदायी फर्म को ग्राम प्रधान से कार्य पूर्ण होने का प्रमाण पत्र भी उपलब्ध कराये तथा समस्त खण्ड विकास अधिकारियों को जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्देशित किया गया कि रोड रिस्टेटमेंट का कार्य कार्यदायी फर्म द्वारा ही कराया जायेगा। इसमें किसी भी ग्राम पंचायत निधि का कोई भी पैसा खर्च नहीं किया जायेगा। जिसकी सूचना अपने माध्यम से समस्त ग्राम प्रधानों को देने के निर्देश दिये गये।

(जयकेश त्रिपाठी)

मुख्य विकास अधिकारी  
संतकबीरनगर

कार्यालय मुख्य विकास अधिकारी, संतकबीरनगर ।

पत्रांक- 995 / म-11 / 19

दिनांक- 24/08/2024

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

1. प्रमुख सचिव, नमामि गंगे एवम् ग्रामीण जलापूर्ति विभाग, उ० प्र० शासन, लखनऊ ।
2. विशेष कार्याधिकारी, मा0 मुख्यमंत्री, उ०प्र० शासन, लखनऊ ।
3. मंडलायुक्त महोदय, बस्ती मण्डल को सादर अवलोकनार्थ ।
4. जिलाधिकारी महोदय को सादर अवलोकनार्थ ।
5. अधिशासी अभियंता, उ० प्र० जल निगम(ग्रामीण), संतकबीरनगर।
6. पी०एम०, मेघा इंजी० एण्ड इंफ्रा० लि० ।
7. पी०एम०, जैक्सन-विश्वराज (जे०वी०)।
8. डी०सी०, डी०पी०एम०यू०, जल जीवन मिशन, संतकबीरनगर।
9. डी०पी०एम०, थर्ड पार्टी इन्स्पेक्शन एजेंसी, जल जीवन मिशन, संतकबीरनगर।

मुख्य विकास अधिकारी  
संतकबीरनगर

24/8/2024